इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 194] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2012—चैत्र 24, शक 1934

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2012

क्र. 3081-तेरह-2012.—राज्य शासन, एतद्द्वारा राज्य में निजी पूंजी निवेश पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसके प्रबंधन हेतु दिनांक 4-10-2011 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित ''मध्यप्रदेश राज्य (ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना) भूमि प्रबंधन नियम, 2011'' की कंडिका 7 ''भूमि आवंटन हेतु प्रब्याजि'' को संशोधित कर निम्नानुसार करता है:—

''(7) **भूमि आवंटन हेतु प्रब्याजि:—**

1. इन नियमों के अंतर्गत भूमि आवंटन की दरें, निम्न में से जो अधिक हो, के अनुसार होंगी:—

   (i) भूमि की प्रब्याजि राशि रू. 5 लाख तथा 30 वर्ष के लिए भू-भाटक की एकमुश्त देय राशि रू. 3 लाख, कुल रू. 8 लाख प्रति एकड़.

   (ii) जिले के समान क्षेत्रों में कलेक्टर द्वारा निर्धारित सिंचित कृषि भूमि की प्रति एकड़ गाइड-लाइन से 1.6 (एक दशमलव छ:) गुना.

2. राज्य शासन को उपरोक्त कण्डिका में दर्शाई राशि में संशोधन करने का अधिकार होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि पर कोई भू-भाटक/किराया देय नहीं होगा.''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.